संख्या: 99/2026/358पू0वि0नि0/35-1-2026-1778845

प्रेषक,

राजेन्द्र प्रसाद,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
महराजगंज।

नियोजन अनुभाग-1 लखनऊ: दिनांक 06 मई, 2026

विषय:-पूर्वान्चल विकास निधि(राज्यांश) अनुदान संख्या-40 में जनपद महराजगंज की 03 परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2025-26 में अवशेष धनराशि के आवंटन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक नियोजन अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या: 21/2026/254पू0वि0नि0/35-1-2026-1778845, दिनांक 24 मार्च, 2026 तथा जिला अर्थ एवं संख्या अधिकारी, महराजगंज के पत्रांक-2170/बजट/पू0वि0नि0/त्व0आ0वि0/2025-26, दिनांक 31.03.2026 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2. उक्त संदर्भित शासनादेश दिनांक 24 मार्च, 2026 के प्रस्तर-2 में उल्लिखित तालिका के स्तम्भ-2 में अंकित कुल 03 परियोजनाओं (1) विकास खण्ड लक्ष्मीपुर में समरधीरा चौराहे पर राम लखन मद्धेशिया की दुकान से कोदई के घर तक 500 मी० नाला निर्माण कार्य (2) ग्राम पंचायत सिंधवारी में सेंट मैरी स्कूल से रामउजागिर के घर तक सी०सी० निर्माण कार्य तथा (3) विकास खण्ड लक्ष्मीपुर के ग्राम बनरसिंहा खुर्द में मुख्य मार्ग से कम्पोजिट विद्यालय तक सी०सी० रोड का निर्माण कार्य हेतु वित्तीय वर्ष 2025-26 में अगली किश्त के रूप में स्तम्भ-10 में अंकित योग रू० 74.2472 लाख (रूपये चौहत्तर लाख चौबीस हजार सात सौ बीस मात्र) की धनराशि पूर्वान्चल विकास निधि (राज्यांश) अनुदान संख्या-40 से अवमुक्त करते हुये प्रस्तर-3 में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है, जबकि विषयगत प्रकरण के संबंध में जिला अर्थ एवं संख्या अधिकारी, महराजगंज के संदर्भित पत्र दिनांक 31.03.2026 द्वारा दी गयी आख्यानुसार ग्रिड रिपोर्ट समयान्तर्गत अप्राप्त होने के फलस्वरूप कोषागार, महराजगंज से बिल जनरेट नहीं होने के कारण उक्त स्वीकृत धनराशि को समर्पण के रूप में स्वीकार किये जाने का शासन से अनुरोध किया गया है।

3. अत: मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रश्नगत शासनादेश संख्या: 21/2026/254पू0वि0नि0/35-1-2026-1778845, दिनांक 24 मार्च, 2026 द्वारा जनपद महराजगंज की तीन परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु अवमुक्त कुल रू० 74.2472 लाख (रूपये चौहत्तर लाख चौबीस हजार सात सौ बीस मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 में अवमुक्त किये जाने की एतद्द्वारा श्री राज्यपाल स्वीकृति प्रदान करते हैं। तदनुक्रम में उक्त शासनादेश दिनांक 24 मार्च, 2026 में उल्लिखित वित्तीय वर्ष 2025-26 के स्थान पर वित्तीय वर्ष 2026-27 पढा जायेगा।

4. उपरोक्त के क्रम में यह भी सुनिश्चित किया जाए कि उक्तानुसार अवमुक्त धनराशि को आहरित किये जाने में किसी भी दशा में द्विरावृत्ति(duplicacy) नहीं होने पाए।

5. प्रश्नगत शासनादेश दिनांक 24 मार्च, 2026 को उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय तथा शर्ते एवं प्राविधान यथावत रहेंगे।

भवदीय,
(राजेन्द्र प्रसाद)
संयुक्त सचिव।

संख्या एवं दिनांक यथोक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी।
2. प्रधान महालेखाकार (लेखा हकदारी) उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
3. महालेखाकार,लेखा परीक्षा, प्रथम एवं द्वितीय, उत्तर प्रदेश,प्रयागराज।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है,अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

4. अपर मुख्य सचिव, वित्त एवं वित्त आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
5. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/लोक निर्माण विभाग/ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
6. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/विशेष सचिव,मा0 मुख्यमंत्री जी,उत्तर प्रदेश शासन।
7. मण्डलायुक्त, गोरखपुर।
8. मुख्य विकास अधिकारी, महराजगंज ।
9. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, महराजगंज ।
10. वित्त(व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5
11. जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी,महराजगंज ।
12. अधिशासी अभियन्ता,ग्रामीण अभियंत्रण विभाग,प्रखण्ड,महराजगंज ।
13. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(राजेन्द्र प्रसाद)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है,अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।